"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2002—कार्तिक 6, शक 1924

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 6778/6775/21-ब (छ. ग.).—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर, केन्द्रीय विधियों में किये गये ऐसे समस्त स्थानीय संशोधन, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा जब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगे.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	केन्द्रीय विधियों के नाम (2)
1.	न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में समस्त स्थानीय संशोधन.
2.	लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1949 में समस्त स्थानीय संशोधन.
3.	वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 में समस्त स्थानीय संशोधन.
4.	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समस्त स्थानीय संशोधन.
5.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में समस्त स्थानीय संशोधन.
6.	हिन्दू अवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम, 1956 में समस्त स्थानीय संशोधन.
7.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में समस्त स्थानीय संशोधन.
8.	पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 में समस्त स्थानीय संशोधन.
9.	विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 में समस्त स्थानीय संशोधन.
10.	मुस्लिम विवाहोच्छेद अधिनियम, 1939 में समस्त स्थानीय संशोधन.
11.	धर्मान्तिरिती विवाहोच्छेद अधिनियम, 1866 में समस्त स्थानीय संशोधन.
12.	ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 में समस्त स्थानीय संशोधन.
13.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में समस्त स्थानीय संशोधन.
14.	संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 में समस्त स्थानीय संशोधन.
15.	संविदा अधिनियम, 1872 में समस्त स्थानीय संशोधन.
16.	भागिता अधिनियम, 1932 में समस्त स्थानीय संशोधन.
17.	निर्दिष्ट सहायता (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963 में समस्त स्थानीय संशोधन.
18.	प्रान्तीय शोधक्षमता अधिनियम, 1920 में समस्त स्थानीय संशोधन.
19.	न्यास अधिनियम, 1882 में समस्त स्थानीय संशोधन.
20.	शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 में समस्त स्थानीय संशोधन.
21.	महाप्रशासक अधिनियम, 1963 में समस्त स्थानीय संशोधन.

(1)	(2)
22.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में समस्त स्थानीय संशोधन.
23.	शपथ अधिनियम, 1969 में समस्त स्थानीय संशोधन.
24.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में समस्त स्थानीय संशोधन.
25.	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में समस्त स्थानीय संशोधन.
26.	नोटरीज अधिनियम, 1952 में समस्त स्थानीय संशोधन.
27.	न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में समस्त स्थानीय संशोधन.
28.	भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में समस्त स्थानीय संशोधन.
29.	दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 में समस्त स्थानीय संशोधन.
30.	परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963 में समस्त स्थानीय संशोधन.
31.	अर्बिट्रेशन एण्ड केन्सिलेशन एक्ट, 1996 में समस्त स्थानीय संशोधन.
32.	हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में समस्त स्थानीय संशोधन.
33.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में समस्त स्थानीय संशोधन.
34.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में समस्त स्थानीय संशोधन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6778/6775/21-ब (छ. ग.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में अधिसूचना क्र. 6778/6775/21-ब (छ. ग.), दि. 26-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

Raipur, the 26th October 2002

NOTIFICATION

No.6778/6775/21-B(C.G.).—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The all such local amendment in the Central Laws from time to time, specified in Schedule to this order which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be inforce in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	All Local amendments in Court Fees Act, 1870.
2.	All Local amendments in Small Cause Courts Act, 1949.
3.	All Local amendments in Suit valuation Act, 1887.
4.	All Local amendments in Code of Criminal Procedure, 1973.
5.	All Local amendments in Hindu Marriage Act, 1955.
6.	All Local amendments in Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.
7.	All Local amendments in Hindu Succession Act, 1956.
8.	All Local amendments in Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.
9.	All Local amendments in Divorce Act, 1869.
10.	All Local amendments in Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.
11.	All Local amendments in Converts Marriage Dissolution Act, 1866.
12.	All Local amendments in Christian Marriage Act, 1872.
13.	All Local amendments in Indian Succession Act, 1925.
14.	All Local amendments in Transfer of Property Act, 1882.
15.	All Local amendments in Contract Act, 1872.
16.	All Local amendments in Partnership Act, 1932.
17.	All Local amendments in Specific Relief Act, 1963.
18.	All Local amendments in Provincial Insolvency Act, 1920.
19.	All Local amendments in Trusts Act, 1882.

(1)	(2)
20.	All Local amendments in Official Trustees Act, 1913.
21.	All Local amendments in Administrators General Act, 1963.
22.	All Local amendments in Indian Evidence Act, 1872.
23.	All Local amendments in Oaths Act, 1969.
24.	All Local amendments in Civil Procedure Code, 1908.
25.	All Local amendments in Advocate Act, 1961.
26:	All Local amendments in Notaries Act, 1952.
27.	All Local amendments in Contempt of Court Act, 1971.
28.	All Local amendments in Indian Penal Code, 1860.
29.	All Local amendments in Criminal Law Amendment Act, 1932.
30.	All Local amendments in Limitation Act, 1963.
31.	All Local amendments in Arbitration and Cancellation Act, 1996.
32.	All Local amendments in Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956.
33.	All Local amendments in Special Marriage Act, 1954.
34.	All Local amendments in Vidhik Seva Pradhikaran Adhiniyam, 1987.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURADHA KHARE, Deputy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.